

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(आर-82/94)/अलेसे-11/1008-12 दिनांक :- 30/12/2020

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कविया (लिनक नं. 2482), स.ले.अ.-II कार्यालय क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग, जयपुर को दिनांक 10.01.2020 से दिनांक 17.07.2020 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति जयपुर (अनाज) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार, मूल वेतन का दो प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(आर-82/94)/अलेसे-11/1008-12 दिनांक :- 30-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी जयपुर।
3. श्री राकेश कविया, स.ले.अ.-II, कार्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. ☒ उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह भीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)